न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई(अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – **श्री खेमा राम यादव (R.A.S.)**

प्रार्थना पत्र संख्या – 420/2020

1. उगमा पुत्र शुभकरण जाति माली आयु लगभग 50 वर्ष निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर।
2. नौरत पुत्र शुभकरण जाति माली आयु लगभग 48 वर्ष निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर।
3. रामदेव पुत्र शुभकरण जाति माली आयु लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई जिला अजमेर। –प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई जिला अजमेर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,131 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् नक्शा तरमीम व शुद्धि करवाने हेतु

!! निर्णय !!

दिनांकः–10.12.2021

1. प्रार्थीगणों ने एक प्रार्थना पत्र जरिये प्रार्थी संख्या 01 उगमा की और से पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगणों की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि आराजी ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई भू.अ.नि. अरांई में दर्ज हैं जिसके वर्तमान खसरा संख्या 3063 रकबा 1.4967 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3062 रकबा 0.3236 हैक्टेयर,खसरा संख्या 3064 रकबा 0.3883 हैक्टेयर स्थित है जिसमें उक्त वर्णित खसरों का क्षेत्रफल जमाबन्दी के अनुसार नक्शें में एक समान नहीं है। वर्तमान नक्शा शीट में उक्त सभी खसरे सीट के पैमाना के अनुसार नक्शे में भूमि के क्षेत्रफल में व जमाबन्दी में अंकित वास्तविक क्षैत्रफल के अनुसार नहीं हैं। नक्शे में व जमाबन्दी के क्षेत्रफल के परिमाप में अत्यधिक अन्तर है जो कि जमाबन्दी के अनुसार सही होना चाहिये। यह है कि सभी खसरों के पुराने एकीकरण नक्शों में क्षेत्रफल सही है जमाबंदी अनुसार है। जबकि बाद में बदल दिया गया। वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शा में

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपरोक्त वर्णित प्रत्येक खसरे के क्षेत्रफल में काफी अन्तर है। यह है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का पुराना एकीकरण का नक्शा सही है लेकिन नये नक्शे में क्षेत्रफल जमाबन्दी में अंकित हिस्सेदारी/खातेदारी के हिसाब से काफी कम है। आस पडौस के लगते खसरों में उक्त भूमि विलय हो रखी है सारांश यह है कि जमाबन्दी व एकीकरण के नक्शे के अनुसार हम प्रार्थीगण का हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में जो निहित है उसके अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शें में अंकन/परिमाप नहीं है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा बाद तलबी पत्रावली दिनांक 18.12.2020 को पेश हुआ। तहसीलदार अरांई का बाद तहरीर लिखे जाने के बाद जवाब दिनांक 21.09.2021 को पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार अरांई द्वारा जवाब दिया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरों की राजस्व रिकार्ड की समस्त जमाबंदी एवं नक्शों की जांच पश्चात रिपोर्ट यह है कि सम्वत 2074 से 2077 सेग्रीगेशन पश्चात ग्राम अरांई के वर्तमान खसरा नम्बर 3063 रकबा 1.4967 हैक्टेयर(09 बीघा 05 बीस्वा) किस्म बारानी 03,खसरा नम्बर 3062 रकबा 0.3236 हैक्टेयर(02 बीघा 00 बीस्वा) किस्म बारानी 03 पर नामान्तरण संख्या 4803 दिनांक 10.12.2019 विरासत से व नामान्तरण संख्या 4855 दिनांक 20.02.2020 हकत्याग से पूर्व खातेदार शुभकरण पिता नाथू कौम माली के स्थान पर उगमा,नौरत,रामदेव पुत्रगण शुभकरण राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज हुआ है एवं इनके लगायत खसरा नम्बर 3883/3062 व 3061 अन्य खातेदारों का दर्ज है। सम्वत 2074 से 2077 सेग्रीकेशन पूर्व खसरा नम्बर 3063 रकबा 09--05 बीघा किस्म बारानी03 हिस्सा पूर्ण एवं खसरा संख्या 3062 रकबा 02 बीघा जिसकी तरमीम नक्शे में नही थी हिस्सा 1/2 शुभकरण पुत्र नाथू कौम माली के नाम दर्ज था एवं पूर्वोक्तानुसार इनके लगायत खसरा संख्या 3062/1 रकबा 24--03--00 बीघा,खसरा संख्या 3061 रकबा 00--04--00 बीघा अन्य खातेदारों के स्थित थे। सम्वत 2070 से 2073 में शुभकरण पुत्र नाथू कौम माली ने खसरा संख्या 3063 रकबा 09--05--00 किस्म बारानी03 हिस्सा पूर्ण पर बैंक ऑफ बडौदा शाखा अरांई से रहन लिया एवं खसरा संख्या 3062 रकबा 02--00--00 बीघा किस्म बारानी03 हिस्सा 1/2 शुभकरण पुत्र नाथू कौम माली के नाम दर्ज था एवं पूर्वोक्तानुसार इनके लगायत खसरा संख्या 3062/1 रकबा 24--03--00 बीघा,खसरा संख्या 3061 रकबा 00--04--00 बीघा अन्य खातेदारों के स्थित थे। सम्वत 2059 से 2062 में खसरा संख्या 3063 रकबा 09--05--00 बीघा किस्म बारानी03 हिस्सा पूर्ण एवं खसरा संख्या 3062 रकबा 02 बीघा किस्म बारानी03 हिस्सा 1/2 शुभकरण पुत्र नाथू कौम माली के नाम दर्ज था एवं पूर्वोक्तानुसार इनके लगायत खसरा संख्या 3062/1 रकबा 24--03--00 बीघा,खसरा संख्या 3061 रकबा 00--04--00 बीघा अन्य खातेदारों के स्थित थे। सम्वत् 2055 से 2058 में खसरा नम्बर 3063 रकबा 09--05--00 बीघा किस्म बारानी03 हिस्सा पूर्ण एवं खसरा नम्बर 3062 रकबा 02--00--00 बीघा किस्म बारानी03 हिस्सा 1/2 शुभकरण पुत्र नाथू कौम माली के नाम दर्ज था एवं पूर्वोक्तानुसार इनके लगायत खसरा संख्या 3062/1 रकबा 24--03--00 बीघा,खसरा संख्या 3061 रकबा 00--04--00 बीघा अन्य खातेदारों के स्थित थे। सम्वत 2055 से 2058 में खसरा संख्या 3063 रकबा 09--05--00 बीघा किस्म बारानी03 हिस्सा पूर्ण शुभकरण पुत्र नाथू कौम माली एवं खसरा संख्या 3062 रकबा 26--03--00 बीघा किस्म बारानी03 पर लादू वल्द घीसा हिस्सा 5/6, शुभकरण पिता नाथू हिस्सा 1/6 कौम माली दर्ज था। न्यायालय डिकी नामान्तरण संख्या 1169

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

दिनांक 12.02.1999 से शुभकरण पुत्र नाथू हिस्सा 1/6 के स्थान पर लादू वल्द घीसा कौम माली के नाम दर्ज किया गया जिससे लादू वल्द घीसा खसरा संख्या 3062 पर एकल/पूर्ण खातेदार दर्ज हुआ। विक्रय पत्र नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 28.11.1999 से खसरा संख्या 3062 रकबा 26–03–00 में से 02–00–00 बीघा पर लादू पुत्र घीसा कौम माली के स्थान पर शुभकरण ,भैरू पुत्रगण लादू दर्ज हुआ। जिससे खसरा संख्या 3062 पर पुनः लादू पुत्र घीसा के स्थान पर लादू पुत्र घीसा 24–03–00 बीघा पर एवं शुभकरण व भैरू पुत्रगण नाथू 02–00–00 के नाम खातेदार दर्ज हुये। एकीकरण के मिलान क्षेत्रफल ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर निम्नानुसार हैः–

वर्तमान		गत	
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
2177	09–05–00	3948 मीन नम्बर	04–13–00
		3956 मीन नम्बर	04–12–00
योग	09–05–00		09–05–00

वर्तमान		गत	
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
2176	26–03–00	3948 मीन नम्बर	09–18–00
		3956 मीन नम्बर	08–12–00
		3958 मीन नम्बर	02–02–00
		3959 मीन नम्बर	05–11–00
योग	26–03–00		26–03–00

एकीकरण के दौरान खसरा नम्बर 3948 मीन नम्बर रकबा 04 बीघा 13 बीस्वा व खसरा संख्या 3956 मीन नम्बर रकबा 04 बीघा 12 बीस्वा कुल रकबा 09 बीघा 05 बीस्वा का एकीकरण कर एक नवीन खसरा संख्या 2177 रकबा 09 बीघा 05 बीस्वा बनाया गया। तथा खसरा संख्या 3948 मीन नम्बर रकबा 09 बीघा 18 बीस्वा, खसरा संख्या 3956 मीन नम्बर रकबा 08 बीघा 12 बीस्वा ,खसरा संख्या 3958 मीन नम्बर रकबा 02 बीघा 02 बीस्वा तथा खसरा संख्या 3959 मीन नम्बर रकबा 05 बीघा 11 बीस्वा उक्त चार खसरों के एकीकरण से नवसृजित खसरा संख्या 2176 रकबा 26 बीघा 03 बीस्वा बनाया गया। एकीकरण के दौरान खसरा संख्या 3956 मीन नम्बर रकबा 04 बीघा 12 बीस्वा को राजस्व नक्शे में सहवन से एकीकृत नवसृजित खसरा नम्बर 2176 रकबा 26–03–00 बीघा में विलय कर दिया गया। तथा सेग्रीकेशन के दौरान प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गई भूमि रकबा 02–00–00 बीघा की तरमीम एकीकरण में शेष रहे खसरा संख्या 3956 मीन नम्बर रकबा 04–12–00 बीघा में ही कर दी गई। और प्रार्थी का रकबा क्षेत्रफल में तो बराबर रहा किन्तु नक्शे में तरमीम की ओवरलेपिंग होने के कारण वर्तमान में खसरा संख्या 3063 का कुल रकबा (नक्शे के आधार पर) 09 बीघा 05 बीस्वा के स्थान पर 04 बीघा 13 बीस्वा ही रह गया।

हमारे द्वारा पत्रावली राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप 1) विभाग के आदेश क्रमांक प12(2)राज01/2020 दिनांक 24.09.2021 की पालना में दिनांक 10.11.2021 को कोर्ट कैम्प अरांई में रखवाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

...वेजात, तहसीलदार अरांई रिपोर्ट, व मजमें आम को सुना गया। पत्रावली का ...लोकन व मनन किया गया। प्रार्थी उगमा की कृषि आराजी तहसीलदार ...पोर्टनुसार एकीकरण वि.सं 2019 में खसरा संख्या 2177 में कुल भूमि 09 बीघा ...5 बीस्वा थी जिसके दो मीन नम्बर 3948 रकबा 04 बीघा 13 बीस्वा व 3956 रकबा 04 बीघा 12 बीस्वा बने थे लेकिन राजस्व नक्शें में तरमीम केवल 04 बीघा 13 बीस्वा की ही की गई। तत्पश्चात् 28.11.1999 को प्रार्थीगणों के पूर्वजो द्वारा अपने पडोसी खातेदारान् से कय की गई भूमि रकबा 02 बीघा की तरमीम पूर्व में शेष रहे खसरा संख्या 3956 मीन नम्बर रकबा 04—12—00 बीघा में ही कर दी गई। जिससे प्रार्थी का रकबा क्षेत्रफल में तो बराबर रहा किन्तु नक्शे में तरमीम की ओवरलेपिंग होने से वर्तमान में खसरा संख्या 3063 का कुल रकबा नक्शे के आधार पर 09 बीघा 05 बीस्वा के स्थान पर 04 बीघा 03 बीस्वा ही रह गया।

हमारे द्वारा प्रार्थी को मजमें आम में सुना गया,उपलब्ध दस्तावेजों, तहसीलदार अरांई अनुशंषा व मजमें आम मे प्रार्थी को सुनने के बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाता है। संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट पृष्ठ क्रमांक 01 से 04 व प्रस्तावित तरमीम नक्शा क्रमांक 05 व 06 अन्तिम आदेश का भाग होंगे। तहसीलदार अरांई को मजमें आम कोर्ट कैम्प अरांई में आदेश दिया जाता है कि व प्रस्तावित नक्शेनुसार(कमांक06) राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

!! क्रियात्मक आदेश !!

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि वे वर्तमान खसरा संख्या 3062 व 3063 का पुनः तरमीम प्रस्तावित तरमीम नक्शा क्रमांक 05 व 06 के अनुसार करवाये । तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 10/12/2021 को मजमें आम कोर्ट कैम्प अरांई में लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

10/12/21

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)